

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 8/80

दिनांक :- 8/8/18

आदेश संख्या : 161/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिको को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), नागणेचेजी मन्दिर के पास, बीकानेर-334003 में दिनांक 13/08/2018 से 05/10/2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 13/08/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिंक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	अमित कुमार श्रीमाली - [11110] नरेंद्र कुमार, 23/09/1987, 630/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, बीकानेर
2	अनिता - [11094] प्यारे लाल, 20/04/1993, 3176/2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), पंचायती राज विभाग, झुंझुनूं
3	अनिता - [10879] सुल्तान सिंह, 15/07/1993, 2659/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर, सीकर
4	अनिता जाखड - [10799] सुरेंद्र सिंह, 26/04/1993, 1628/2013	अधिशापी अभियंता, परियोजना खण्ड प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सीकर
5	अनिता कुमावत - [10570] राम गोपाल कुमावत, 30/07/1991, 1440/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रींगंस, सीकर
6	अंजू कुमारी - [11098] री हिताश , 01/07/1993, 3059/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मलसीसर, झुंझुनूं
7	अंकुर बलोदा - [10979] सतवीर सिंह, 15/03/1994, 1271/2013	उप कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, झुंझुनूं
8	अरविन्द भतैया - [11025] सही राम भतैया, 01/03/1993, 1846/2013	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, चिड़ावा, झुंझुनूं
9	अविनाश ढाका - [9959] भंवर सिंह ढाका, 08/03/1993, 23/2013	प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, सीकर
10	बबिता - [10859] रामदेव राम, 05/08/1988, 2475/2013	सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), सीकर
11	बसंत कुमार - [10521] प्रहलाद राय, 08/09/1991, 971/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दांतारामगढ़, सीकर
12	भीम गोदारा - [9967] लाल चंद गोदारा, 15/10/1993, 708/2013	मुख्य अभियंता (उत्तर), जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़
13	बिट्टू कुमारी - [11091] समर सिंह, 01/07/1993, 3127/2013	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं
14	छाया - [11092] राघवेंद्र कृष्ण त्रिपाठी, 01/07/1986, 3152/2013	कमान अधिकारी 1 राज (इंडप) कंपनी, एन.सी.सी. विभाग, पिलानी, झुंझुनूं

	चौधरी मनीषा आर - [12464] रामनिवास चौधरी, 03/07/1993, 2556/2013	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, झुंझुनूं
16	दिक्षा शर्मा - [11035] पवन कुमार, 03/01/1994, 1970/2013	अधिकाधी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नवलगढ़, झुंझुनूं
17	गितिका शेखावत - [10977] राजपाल सिंह, 07/07/1993, 1262/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झुंझुनूं
18	ज्योतिष्णा कुमारी - [11040] चोखा राम, 01/07/1990, 2035/2013	अधिकाधी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खेतड़ी, झुंझुनूं
19	खुशबू गुप्ता - [11031] विजय कुमार गुप्ता, 25/01/1993, 1874/2013	अधिकाधी अभियंता, जिला खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झुंझुनूं
20	मैना सैनी - [11043] ग्यारसी लाल सैनी, 05/07/1992, 2181/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), खेतड़ी, झुंझुनूं
21	मनोज कुमार - [12846] सत्यनारायण, 05/06/1984, 3192/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), झुंझुनूं
22	मीना कुमारी - [11099] ओम प्रकाश, 15/06/1989, 2478/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), चिडावा, झुंझुनूं
23	मीनू चौधरी - [11020] मूला राम चौधरी, 13/09/1989, 1787/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, चिडावा, झुंझुनूं
24	मोनिका - [11052] बंटी राम, 15/07/1991, 2333/2013	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, झुंझुनूं
25	मोनिका यादव - [11002] जीतेन्द्र कुमार यादव, 11/09/1994, 1537/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, बुहाना, झुंझुनूं
26	मुकेश कुमार - [10933] रामधन हर्षवाल, 15/04/1994, 548/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झुंझुनूं
27	मुन्नी कुमारी - [11089] मुकेश कुमार, 01/10/1990, 3064/2013	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, झुंझुनूं
28	नरेंद्र कुमार चौहान - [11073] मनोहर सिंह चौहान, 01/07/1971, 2522/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बिसाऊ, झुंझुनूं
29	नरेश कुमार शर्मा - [11093] केदार मल शर्मा, 01/07/1982, 3159/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), उदयपुरवाटी, झुंझुनूं
30	नवीन कुमार शर्मा - [11088] रामस्वरूप शर्मा, 22/10/1986, 3036/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं
31	नीरु कुमारी - [12811] रामवतार, 30/07/1989, 1518/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, झुंझुनूं
32	प्रियंका - [11084] जयप्रकाश, 28/04/1992, 2678/2013	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, झुंझुनूं
33	प्रियंका - [11010] महेन्द्र सिंह, 14/07/1991, 1694/2013	सहायक अभियंता, भू-जल विभाग, झुंझुनूं
34	पुष्पा कुमारी - [10999] रघुवीर सिंह, 16/12/1993, 1483/2013	जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, झुंझुनूं
35	राकेश कुमार - [11090] कैलाश चन्द्र, 20/10/1992, 3113/2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी नरेगा. झंझनं

36	रणजीत - [11077] रामपाल, 31/08/1987, 2546/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), बुहाना, झुंझुनूं
37	रीना कुमारी खीचड़ - [10990] बीरबल सिंह, 10/09/1990, 1465/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, नवलगढ़, झुंझुनूं
38	रुबिना बानु - [11012] मुनीर खान, 27/12/1994, 1703/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, खेतड़ी, झुंझुनूं
39	सविता पायल - [11097] अमर सिंह पायल, 12/12/1980, 3410/2013	कमान अधिकारी प्रथम राज सीटीआर, एन.सी.सी. विभाग, पिलानी, झुंझुनूं
40	सीमा कुमारी - [11083] श्रीराम मिठारवाल, 20/03/1994, 2647/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गुडागौरजीका, झुंझुनूं
41	शर्मिला सैनी - [11041] भूपेंद्र कुमार सैनी, 27/02/1985, 2069/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), नवलगढ़, झुंझुनूं
42	शीला - [11095] शीशराम, 01/07/1987, 3286/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिराना, झुंझुनूं
43	शीला मीणा - [11064] रोहिताश्व मीणा, 06/08/1994, 2386/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नवलगढ़, झुंझुनूं
44	सोनिया कुमारी - [10870] ईश्वर सिंह, 20/05/1988, 70/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, चिड़ावा, झुंझुनूं
45	सुहासिनी - [11033] महेन्द्र सिंह, 18/10/1992, 1997/2013	अधिकाधी अभियंता, सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झुंझुनूं
46	सुमन - [10813] राम प्रताप, 08/09/1989, 2042/2013	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हनुमानगढ़
47	सुनील कुमारी - [11038] भूप सिंह, 29/08/1991, 2027/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बगड़, झुंझुनूं
48	सुनीता सैनी - [11078] तारा चन्द सैनी, 05/06/1994, 2549/2013	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, नवलगढ़, झुंझुनूं
49	सुशीला - [10865] राम सिंह, 04/01/1991, 19/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, चिड़ावा, झुंझुनूं
50	स्वाति डांगी - [11082] महेन्द्र डांगी, 08/09/1992, 2633/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, सूरजगढ़, झुंझुनूं
51	वर्षा कुमावत - [11079] जयनारायण कुमावत, 01/07/1990, 2576/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुकुन्दगढ़, झुंझुनूं
52	अर्चना पुरोहित - [11179] हुकम चन्द जिंदल, 05/04/1982, 1257/2013	आयुक्त शिक्षा (प्रारंभिक) बीकानेर 1558
53	मोहम्मद आरिफ खान-[10000] नाबू खान, 18/04/1988, 1139/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, पीलीबंगा, हनुमानगढ़

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

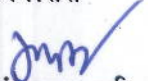
यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2180

दिनांक :- 8/8/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), नागणेचेजी मन्दिर के पास, बीकानेर-334003 को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म समस्त कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।

. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

. रक्षित/निजी पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)